दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

13

न्यायालय माननीय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6176

1. कुलदीपसिंह पिता चैनसिंह, जाति राजपूत
2. संदीपसिंह पिता चैनसिंह, जाति राजपूत
3. सुशीलाबाई बेवा चैनसिंह, जाति राजपूत

निवासी–ग्राम कुंवरसी तह. व जिला धार म0प्र0

...................निगरानीकर्ता

बनाम

1. पुष्पाबाई पिता चैनसिंह पति चंदरसिंह, जाति राजपूत
   निवासी–शिव विहार कालोनी, धार म0प्र0
2. रेशमबाई बेवा चेनसिंह जाति राजपूत
   निवासी–ग्राम उमरिया (बगोदा) तह.व जिला धार
3. मायाबाई पिता चेनसिंह, पति सौदानसिंह जाति राजपूत
   निवासी–आकवी, तह. महू जिला इन्दौर

.........................विपक्षीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

(श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) क्षेत्र धार जिला धार की अपील क्रमांक 137/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 04-12-17 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत है)

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम कुंवरसी तह. व जिला धार में स्थित भूमि सर्वे 247/4, 341/1, 342/1 कुल सर्वे नं. 3, कुल रकबा 5.904 हेक्टेयर की भूमि स्थित होकर उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार तहसील धार वृत्त सागौर द्वारा अपने प्रकरण कमांक 20/13–14/अ–27 पर दर्ज कर विधिक रूप से दिनांक 18/03/2014 को आदेश पारित किया जिसकी विधिक जानकारी दिनांक 18/03/2014 को ही पुष्पाबाई को थी । पुष्पाबाई को जानकारी होते हुए उसके द्वारा जानबुझकर करीब 350 दिन की देरी से अपील अनुविभागीय अधिकारी महोदय, धार जिला धार के समक्ष प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 137/अपील/2014–15 पर दर्ज हुआ होकर जिसमें बिना कोई विधिक आधार के बिना प्रत्येक दिन का स्पष्टीकरण दिये मुगम अस्पष्ट अर्जी अन्तर्गत धारा 5 मियाद विधान की दी जो [illegible]

18/12/17

Order 11.1.18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/17/6176

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक पक्ष अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 27-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	